परिशिष्ट - "३५"
[20/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 205]

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2554085
Email-ID- saejkar.se@mpurban.g
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक............../ यां.प्र./07/वि.नि.म./2020/ भोपाल, दिनांक–

–::आदेश::–

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिये राशि के उपयोग के नियम 2006 में राजपत्र दिनांक 08.07.2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में विशेष निधि मद से निम्न नगरीय निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि अनुसार कुल राशि रू. 400.00 लाख (रू. चार करोड़ मात्र) आहरण कर, भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि कोषालय स्तर से ई–ट्रांसफर से निम्न निकायों के बैंक खातें में अन्तरित की जायेगी। स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	निकाय का नाम	सीएम मॉनिट क्र.	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	2	3	4	5
1	न.परि. अम्बाह	474/CMS/SMS/20 dt. 27.05.2020	अंबाह बायपास से करौलीमाता रोड अम्बाह तक नाला निर्माण लंबाई –1000 मीटर	100.00
2	न.पा. पोरसा	474/CMS/SMS/20 dt. 27.05.2020	पोरसा नगरपालिका क्षेत्र में जल निकासी हेतु सीवर लाईन का कार्य।	150.00
3	न.पा. डबरा	437/CMS/SMS/20 dt. 27.05.2020 809/CMS/SMS/20 dt. 30.05.2020	विधान सभा क्षेत्र डबरा में स्टेडियम निर्माण के संबंध में।	150.00
			योग	400.00

शर्तें:–

1. उक्त राशि "मांग संख्या–64–3604–192–9999–8860–व्ही–42–008 के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में उपलब्ध बजट आवंटन से विकलनीय होगी।
2. उक्त राशि का उपयोग उल्लेखित कार्यों हेतु नियमानुसार तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अंतर्गत ही कार्य किया जाये तथा प्रस्तावित कार्य निकाय की सक्षम स्वीकृति उपरान्त किया जाये।
3. उक्त स्वीकृत राशि जिस कार्य के लिये आवंटित की गई है उससे भिन्न किसी कार्य पर व्यय की अनुमति नहीं होगी।
4. कार्य की गुणवत्ता के लिये तकनीकी मापदण्डों की पूर्ति हेतु निकाय के तकनीकी एवं प्रशासकीय अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. किये गये कार्य का अभिलेखीकरण अनिवार्य रूप से किया जाये।
6. उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष के भीतर वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका भाग–2 के तहत संभागीय संयुक्त संचालक से प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार, ग्वालियर को प्रेषित करें तथा एक प्रति संचालनालय की लेखा शाखा को भेजना सुनिश्चित करें।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

7. निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से कम राशि स्वीकृत होने की स्थिति में शेष राशि निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन की जायेगी।

- वत्त द्वारा स्वीकृत)

लेखाधिकारी (वित्त)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक– 5-6-20

क्रमांक 5783/यां.प्र./07/वि.नि.म./2020/
प्रति:–

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, म.प्र. ग्वालियर। (bhanc2@cag.gov.in)
कलेक्टर, जिला– मुरैना एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
संयुक्त संचालक/आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर आहरण की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विंध्यांचल भवन, कोषालय भोपाल।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अम्बाह, पोरसा एंव डबरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
सी.एम.ए. मुख्यालय की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
देयक प्रति।

लेखाधिकारी (वित्त)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल